

कार्यालय—निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

—: कार्यालय आदेश :-

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक: प.19(04)शिक्षा-2/2019 जयपुर, दिनांक 02.12.2020 द्वारा निम्नांकित कार्मिक की प्रतिनियुक्ति अल्पसंख्यक मामलात विभाग में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के पद पर "राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम-144 "क" के तहत एक वर्ष के लिए अनापत्ति प्रदान किये जाने पर एतद्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

क्र. सं.	कार्मिक का नाम	पद नाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	प्रतिनियुक्ति पर पदनाम
1	श्री मंगलाराम	व्याख्याता (अंग्रेजी)	राउमावि, बागरा, जिला—जालौर	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी

उक्त कार्मिक की प्रतिनियुक्ति के संबंध में चुनाव आचार संहिताका पालन किया जावे।


(सौरभ शर्मा)

आई.ए.एस

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान


बीकानेर

क्रमांक:—शिविरा/मा/संस्था-4/सी-8/प्रतिनियुक्ति (अन्य)/2020/174

दिनांक - 04/12/2020

प्रतिलिपि:—निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 विशिष्ट सहायक, मा मंत्री, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, वक्फ एवं जन अभियोग निराकरण विभाग, जयपुर
- 2 निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राज., जयपुर
- 3 शासन उप सचिव, स्कूल शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 4 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक/संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
- 5 संबंधित संस्था प्रधान/नियंत्रण अधिकारी।
- 6 संबंधित कार्मिक।
- 7 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा।
- 8 रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा,


राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय-आदेश

राज्य सरकार के पत्रांक-प.19(11)शिक्षा-2/2020 जयपुर दिनांक-16.10.2020 की अनुपालना में इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 22.10.2020 के द्वारा श्रीमती दिशा पारीक, व्याख्याता-हिन्दी, राउमावि, त्योद, किशनगढ़ जिला अजमेर की राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उदयपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर प्रतिनियुक्ति की गई थी।

राज्य सरकार के पत्रांक-प.19(11)शिक्षा-2/2020 जयपुर दिनांक-02.12.2020 की अनुपालना में श्रीमती दिशा पारीक, व्याख्याता-हिन्दी, राउमावि, त्योद, किशनगढ़ जिला अजमेर की राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उदयपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर की गई प्रतिनियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है। संबंधित नियंत्रण अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि पालना से अद्यौहस्ताक्षरकर्त्ता को अवगत करावें।


(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.


निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक- 04/12/2020

क्रमांक:-शिविरा-मा/संस्था-4/सी-8/प्रतिनियुक्ति (अन्य)/2020/173

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, स्कूल शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उदयपुर।
4. संबंधित संयुक्त निदेशक-संभाग कार्यालय।
5. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,।
6. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक/संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी)।
7. संबंधित संस्थाप्रधान/नियंत्रण अधिकारी।
8. संबंधित अधिकारी।
9. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को उक्त आदेश प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
10. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कॉर्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर